अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 32/2016-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर मालों का आयात) नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों के संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर मालों का आयात) नियम, 2016 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना–(1) ये नियम किसी ऐसे आयातकर्ता को लागू होंगे, जो विनिर्माता है और जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी छूट अधिसूचना का लाभ लेने का आशय रखता है और जहां ऐसी छूट का फायदा, किसी उत्पाद-शुल्क्य वस्तु के विनिर्माण के लिए उस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले आयातित मालों के उपयोग पर निर्भर है ।

(2) ये नियम केवल ऐसी छूट अधिसूचना के संबंध में लागू होंगे, जो इन नियमों के अनुपालन के लिए उपबंध करती है ।

(3) ये नियम उस समय भी लागू होंगे, यदि ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में आयातित मालों का उपयोग किया जाता है, उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य नहीं हैं या उन्हें संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है ।

3. परिभाषाएं–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "छूट अधिसूचना" से अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ग) "सूचना" से ऐसे विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अभिप्रेत है, जो किसी छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है ।

4. छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय के बारे में सूचना–ऐसा कोई विनिर्माता, जो किसी छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, उसके कारखाने पर अधिकारिता

रखने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को निम्नलिखित विशिष्टियों की सूचना उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :--

(1) विनिर्माता का नाम और पता,

(2) उसके कारखाने में उत्पादित उत्पाद-शुल्क्य माल,

(3) ऐसे मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित मालों की प्रकृति और वर्णन :

परन्तु यदि वह विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ऐसा विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा और यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को उक्त विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा ।

5. अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–(1) वह विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा,--

(क) उसके कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को दो प्रतियों में, आयात किए जाने वाले मालों की प्राक्कलित मात्रा और मूल्य, ऐसे आयात के संबंध में लागू छूट अधिसूचना की विशिष्टियां और किसी विशिष्ट समनुदेशन के संबंध में या एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आयात का पत्तन ; और

(ख) आयात के पत्तन पर यथास्थिति, केन्द्रीय सीमाशुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को एक सैट ।

(2) वह विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ अविच्छिन्न बंध पत्र प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा उपयुक्त समझा जाए, जिसमें ऐसे निवेशों पर उदग्रहणीय ऐसे शुल्क, जो छूट के कारण अब उदग्रहणीय नहीं है और आयात के समय पहले से संदत्त किसी शुल्क, यदि कोई हो, के बीच के अन्तर के बराबर की रकम का और मालों के आयात की तारीख से आरंभ होने वाली और शुल्क के अन्तर की संपूर्ण रकम, जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, के वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर ब्याज के साथ संदाय करेगा ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त, विनिर्माता से प्राप्त सूचना की एक प्रति आयात के पत्तन पर यथास्थिति, केन्द्रीय सीमाशुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को अग्रेषित करेगा ।

(4) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन सूचना की प्रति की प्राप्ति पर, आयात के पत्तन पर यथास्थिति, केन्द्रीय सीमाशुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, उस विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है को छूट अधिसूचना का फायदा अनुज्ञात करेगा और उक्त विनिर्माता अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र फाइल करते समय, अन्य बातों के साथ, अपने उस कारखाने के रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्यौरे उपलब्ध कराएगा, जहां ऐसे निवेशों का उपयोग किया जाना है ।

6. उस विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, द्वारा आयातित मालों की प्राप्ति के संबंध में सूचना का दिया जाना और उसके द्वारा अभिलेखों का रखा जाना–(1) वह विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को, जो उसके कारखाने पर अधिकारिता रखता है, आयातित मालों की प्राप्ति के दो दिन के भीतर (आवकाश के दिनों को छोड़ कर, यदि कोई हों) अपने कारखाने में आयातित मालों की प्राप्ति की सूचना देगा ।

(2) वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, ऐसी रीति में अपने लेखा बनाए रखेगा, जिससे स्पष्ट रूप से आयातित मालों की मात्रा और मूल्य, छूट अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार उपभोग किए गए आयातित मालों की मात्रा, नियम 7 के अधीन पुनःनिर्यात किए गए मालों की मात्रा, यदि कोई हो, और स्टाक में शेष बची मात्रा को, प्रवेश पत्र-वार उपदर्शित किया जा सके और वह ऐसे लेखा को जब कभी यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा अपेक्षित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(3) वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को, आगामी त्रैमास के दसवें दिन तक इन नियमों से संलग्न प्ररूप में एक त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

7. अप्रयुक्त या दोषपूर्ण मालों का पुनःनिर्यात या निकासी–(1) वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, इन नियमों के अधीन फायदा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की अनुमति से, आयात की तारीख से तीन मास के भीतर अप्रयुक्त या दोषपूर्ण आयातित मालों का पुनःनिर्यात कर सकेगा :

परन्तु पनुःनिर्यात के लिए ऐसे मालों का मूल्य आयात के समय उक्त मालों के मूल्य से कम नहीं होगा ।

(2) वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, इन नियमों के अधीन फायदा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की अनुमति से, आयात की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे मालों पर उदग्रहणीय ऐसे शुल्क, जो प्राप्त की गई छूट के कारण अब उदग्रहणीय नहीं है और आयात के समय पहले से संदत्त किसी शुल्क, यदि कोई हो, के बीच के अन्तर के बराबर आयात शुल्क के संदाय पर, और साथ ही मालों के आयात की तारीख से आरंभ होने वाली और शुल्क के अन्तर की संपूर्ण रकम, जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, के वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर ब्याज का संदाय करने पर अप्रयुक्त या दोषपूर्ण आयातित मालों की निकासी कर सकेगा ।

8. कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली–वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, संबद्ध छूट अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आयातित माल का उपयोग करेगा या नियम 7 के अधीन कार्रवाई करेगा और उसमें असफल रहने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त बंध पत्र का अवलंब लेकर कार्रवाई करेगा और मालों पर उदग्रहणीय ऐसे शुल्क, जो प्राप्त की गई छूट के कारण अब उदग्रहणीय नहीं है और आयात के समय पहले से संदत्त किसी शुल्क, यदि कोई हो, के बीच के अन्तर के बराबर आयात शुल्क के संदाय पर, और साथ ही मालों के आयात की तारीख से आरंभ होने वाली और शुल्क के अन्तर की संपूर्ण रकम, जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, के वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर ब्याज की वसूली आरंभ करने के लिए कार्रवाई करेगा ।

[फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्ररूप

[नियम 6(3) देखें]

त्रैमासिक विवरणी

..... को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिए विवरणी

क्र.सं0	प्रवेश पत्र सं0 और तारीख	रियायती दर पर आयातित मालों का वर्णन	त्रैमास की पहली तारीख को आरंभिक अतिशेष	त्रैमास के दौरान आयातित मालों के ब्यौरे							शुल्क की रियायती दर पर मालों के उपापन के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोजन	त्रैमास के दौरान विनिर्मित माल		क्या मालों का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया अथवा नहीं और निर्यात की दशा में एआरई-1/एआरई-2 के ब्यौरों के साथ निर्यात की गई मात्रा विनिर्दिष्ट करें
				त्रैमास के दौरान प्राप्त मालों का मूल्य	त्रैमास के दौरान प्राप्त मालों की मात्रा	स्तंभ (4) और (6) का योग	त्रैमास के दौरान आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग की गई मात्रा	त्रैमास के दौरान पुनःनिर्यात की गई मात्रा	त्रैमास के दौरान घरेलू बाजार में निकासी की गई मात्रा	त्रैमास के अंतिम दिन अंतिम अतिशेष		वर्णन	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

(टिप्पण: उपयोग किए गए आयातित मालों और विनिर्मित मालों की प्रत्येक किस्म या वर्ग के लिए पृथक् प्रविष्टियां की जानी चाहिए)